



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली-110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, INSTITUTIONAL AREA, SHAHEED JEET SINGH MARG,
NEW DELHI-110016

दूरभाष /Tel-26532643, फैक्स/FAX-26514179

Email: www.kvsangathan.nic.in

फा.11058/2026/पुस्तकालयाध्यक्ष/चय.वे/केविस(मु.)/आरपीएस/ 1869-1900

दिनांक: 18.05.2026

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित पुस्तकालयाध्यक्ष को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) के पत्र सं.एफ.5-180/86-यूटी-1/ दिनांक 12-08-1987, 03-11-1987 एवं 06-02-1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार लेवल - 10 (रु. 56100 - रु. 177500) - 7^{वें} सीपीसी के साथ चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि उन्होंने पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान पर 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हो तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हो। यदि उन्हें कभी भी, किसी भी कारणवश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापिस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि उनके द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को वापस लौटानी होगी।

संबंधित पुस्तकालयाध्यक्ष का चयनित वेतनमान पर वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू वित्तीय नियम-22 (1)(ए)(2) के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा। तदनुसार उनके पास विकल्प है - (1) नए वेतनमान में अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा लें या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतनवृद्धि की तारीख से नियत करवा ले। यदि संबंधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतनवृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प चुनता है तो उसका वेतन उसी चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनित वेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो (i.e. in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post) वेतनवृद्धि का विकल्प संबंधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा तथा इस संदर्भ में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा जो भी विकल्प दिया जाएगा वह अंतिम होगा। संबंधित पुस्तकालयाध्यक्ष के विवरण निम्नानुसार हैं -

पुस्तकालयाध्यक्ष -- लेवल - 10 (रु. 56100 - रु. 177500) - 7^{वें} सीपीसी

A. ON THE BASIS OF ACRs AND SERVICE RECORDS, THE COMMITTEE FOUND THE FOLLOWING LIBRARIAN 'FIT' FOR GRANT OF SELECTION SCALE FROM THE DATE AS SHOWN AGAINST THEIR NAMES ---

S. No.	Sen no. (as on 01.01.2025)	Name of Librarian	KV where working	Date of apptt. in the post of Librarian	Date of drawing senior scale	Date of grant of selection scale
1	16	S.R.GHODAGERI	NO.2 HUBBALLI	29.10.1990	29.10.2002	06.02.2023*
2	18	SHANKUNTLA THAKUR	MANDI	13.02.1991	13.02.2003	06.02.2023*
3	30	A. GOVINDASAMY	AFS THANJAVUR	13.09.1993	13.09.2005	01.01.2025
4	35	SHIKHA SRIVASTAVA	COD, JABALPUR	19.11.1993	19.11.2005	10.02.2023*
5	41	MONALISHA SAIKIA PHUKAN	NO. 2 AFS TEZPUR	16.08.1993	16.08.2005	01.01.2025
6	48	KHWAIRAKPAM KIRAN KR. SINGH	NO. 1 IMPHAL	10.11.1993	10.11.2005	01.01.2025

Om
18.5.2026

7	53	PRAHALLAD MALLIK	NO. 2 BOLANGIR	28.06.1993	28.06.2005	01.01.2025
8	72	BABITA RATH	ARC CHARBATIA	29.10.1996	29.10.2008	01.01.2025
9	74	SUSHIL KUMAR JAIN	NO. 1 STC JABALPUR (SHIFT-2)	04.12.1995	04.12.2007	01.01.2025
10	83	TRIBHOVAN RATHOD	SABARMATI	26.07.1995	26.07.2007	01.01.2025
11	84	JEANCY KHARKONGOR	NO.2 ONGC AGARTALA	31.07.1995	16.02.2008	01.01.2025
12	96	DR. SULEKHA KUMARI	SEC-8 ROHINI (SHIFT-1)	07.01.1998	18.02.2010	01.01.2025
13	97	RAMESH KUMAR T V	NO. 2 MANGALURU	02.02.1998	02.02.2010	01.01.2025
14	99	VANDANA DWIVEDI	SEC-22 ROHINI	31.01.1998	31.01.2010	01.01.2025
15	101	RAMAN KUMAR	CHENANI	30.04.1998	30.04.2010	01.01.2025
16	102	VIDYA S HIWRALE	NMU JALGAON	05.01.1998	05.01.2010	01.01.2025
17	103	KUMAN SINGH NEGI	SHIMLA	30.03.1998	28.02.2011	01.01.2025
18	104	AJIT KUMAR TOPPO	SIMDEGA	31.01.1998	31.01.2010	01.01.2025
19	107	YOGESH KUMAR SINHA	RAE BARELI (SHIFT-2)	01.01.1998	01.01.2010	01.01.2025
20	108	ANIRUDH PRASAD	BHURKUNDA	15.12.1997	15.12.2009	01.01.2025
21	109	PURNIMA TRIPATHI	KANPUR CANTT. (SHIFT-2)	21.12.1998	21.12.2010	01.01.2025
22	110	VIJAY KUMAR PANCHAL	NO.5 JAIPUR (SHIFT-2)	04.02.1998	04.02.2010	01.01.2025
23	111	MOHD MUZZAMMIL AHMED	CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR CANTT. (SHIFT-1)	06.01.1998	06.01.2010	01.01.2025
24	112	VISHALI KHAJURIA	MIRAN SAHIB	17.04.1998	27.02.2011	01.01.2025

* Selection Scale is granted from the next date of completion of in-service course.

B. THE DSC FOUND THE FOLLOWING LIBRARIAN 'UNFIT' FOR GRANT OF SELECTION SCALE FOR "NOT ATTENDING INSERVICE TRAINING COURSE DURING THE PRECEEDING SIX YEARS ON THE BASIS OF DATA SUBMITTED BY CONCERNED REGIONAL OFFICE:

S. No.	Sen. no. (as on 01.01.2025)	Name of Librarian	KV where working	Date of apptt. in the post of Librarian	Date of drawing senior scale
1	57	MADHUSUDAN NAIK	JHARSUGUDA	29.03.1995	29.03.2007
2	81	MINIJA S	ADOOR (SHIFT-2)	01.03.1996	01.03.2008
3	88	PALDEN DORJE	KEYLONG	14.03.1997	19.03.2010
4	105	KRISHNA KUMAR SHRIVASTAVA	NO.3 BHOPAL (SHIFT-2)	03.01.1998	03.01.2010
5	106	S SREENIVASULU	KURNOOL	08.01.1998	08.01.2010

[Signature]
18.5.2026

3. THE DSC FOUND THE FOLLOWING LIBRARIAN 'UNFIT' FOR GRANT OF SELECTION SCALE DUE TO SUPERANNUATION/ TOOK VRS BEFORE COMING INTO THE ZONE OF CONSIDERATION UNDER 20% CEILING:

S. No.	Sen. no. (as on 01.01.2025)	Name of Librarian	KV where working	Date of apptt. in the post of Librarian	Date of drawing senior scale	Date of retirement/VRS
1	256 (as per 2018 list)	UDAI KISHORA	NO. 3 ONGC SURAT	02.02.1994	06.08.2006	RETIRED ON 30.06.2024
2	100	ANIL KUMAR R DONGARWAR	RAJNANDGAON	28.06.1999	28.06.2011	TOOK VRS w.e.f 31.07.2024


18.5.2026
(अभिषेक शर्मा)

सहायक आयुक्त (प्रशा./ भ.प.व)

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी संभागीय कार्यालय को इस निवेदन के साथ कि वह अपने संभाग के अधीन आने वाले सभी केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य तथा संबंधित शिक्षको को यह आदेश सूचनार्थ एवं समुचित अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करें ।
2. सहायक आयुक्त (आई.टी सैल) के.वि.सं. (मु.) नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को के.वि.सं. (मु.) की वेबसाईट पर अपलोड करें ।
3. प्राचार्य संबंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस निर्देश के साथ कि -
 - i) चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबंधित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड से जांच लिए जाएं तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित शिक्षक की पदोन्नति की तिथि उनके चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हो । कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें ।
 - ii) संबंधित शिक्षक से 3 प्रतियों में प्रपत्र में वचनबंध ले ली जाए, जिसकी एक प्रति उसकी सेवा पुस्तिका, दूसरी प्रति उसकी व्यक्तिगत मिसिल तथा तीसरी प्रति संबंधित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए ।
 - iii) इस आदेश को लागू करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला / विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो और संबंधित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 6 वर्षों में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो
 - iv) अन्य विवरण जैसे केन्द्रीय विद्यालय का नाम, पदभार ग्रहण तिथि, वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच ली जाए ।